



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273718  
CG-DL-E-22062026-273718

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3168]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3168]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3297(अ).— जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा 22 जून, 2026 की तिथि का निर्धारण करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान, जहां तक उनका संबंध क्रमांक 13 और उक्त अधिनियम की अनुसूची में उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, जो केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) से संबंधित हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. 25017/03/2024-रेशम]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TEXTILES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

**S.O. 3297(E)**.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the day of June 22, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as they relate to serial number 13 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), shall come into force.

[F. No. 25017/03/2024-Silk]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.